

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)
शृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

Case No.CRR/04/2017
Filling No.CRR/293/2017
CNR No.MP50050005192017
संस्थित दिनांक 20.02.2017

- 1- तपेशचंद्र त्रिवेदी {मृत} आयु लगभग 75 वर्ष
- 2- अजय कुमार अग्रवाल {मृत} आयु लगभग 72 वर्ष
दोनों निवासी-मेन रोड तहसील व जिला बालाघाट
- 3- कमल सिंह वय 55 वर्ष पिता प्रभात कुमार तिवारी
निवासी-मोहगांव तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 4- सुभाष कुमार आयु लगभग 65 वर्ष पिता श्री एस.के. सक्सेना
निवासी-ग्वालियर तहसील व जिला ग्वालियर
- 5- मुकेश वय 50 वर्ष पिता बिंदेश्वरी दुबे
निवासी-तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 6- दिनेश श्रीवास्तव {मृत} आयु लगभग 60 वर्ष
निवासी-तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 7- गोकुल सिंह बैस {मृत} आयु लगभग 60 वर्ष
निवासी-बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट- - **पुनरीक्षणकर्तागण**

- / / **विरुद्ध** / / -

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र थाना प्रभारी-बिरसा
तहसील बैहर जिला बालाघाट - - -

गैरपुनरीक्षणकर्ता ।

=====

{न्यायालय: श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर द्वारा दिनांक 03.02.2016 को आप.प्र.क. 679/2003 शासन
बनाम तपेशचंद्र त्रिवेदी {मृत} व अन्य में पारित आदेश 02.02.2017 से
परिवेदित होकर पेश की है}

=====

श्री जे.सी. तिवारी अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्तागण ।
श्री डी.पी. बिसेन ए.पी.पी. वास्ते गैरपुनरीक्षणकर्ता ।

=====

- / / / **आदेश** / / / -
(आज दिनांक **03 मई 2016** को पारित)

1. यह पुनरीक्षण न्यायालय श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्या.मजि.प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 679/2003 शासन बनाम तपेशचंद्र त्रिवेदी {मृत} वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.02.2017 से पुनरीक्षणकर्तागण का आवेदन निरस्त किए जाने से परिवेदित होकर पेश किया है।
2. दांडिक प्रकरण क्रमांक 679/2003 म.प्र. राज्य विरुद्ध तपेशचंद्र (मृत) अन्य 06 जिसका मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1461/1992 है तथा वर्तमान में नंबर 679/2003 है, में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पेश मूल आवेदन प्रस्तुति दिनांक 17.11.2015 जिस पर विपक्ष की पावती दिनांक 17.11.2015 अंकित है, कुल 03 पृष्ठीय है, का सार यह है कि इस मामले में दिनांक 24.12.1992 को बिरसा पुलिस ने अभियुक्तगण के विरुद्ध चालान पेश किया है। दिनांक 26.10.1999 को दोषारोपण कर आरोप की विरचना अभियुक्तगण पर की गई है। लगातार दिनांक 24.12.1992 से अभियुक्तगण विचाराधीन है। अ.सा. 1 गणेश, अ.सा. 2 चमरदास, अ.सा.3 कमलेश्वर, अ.सा. 4 उदल, अ.सा. 5 खुमान, अ.सा. 6 विरेन्द्र का परीक्षण हुआ है। समस्त सुनवाई तारीखों पर साक्षीगण उपस्थित नहीं हुए हैं। अभियोजन पक्ष ने निष्ठापूर्वक प्रयास नहीं किया है। अनेकों बार अंतिम अवसर दिए हैं।
3. प्रकरण सन् 1992 से लेकर आवेदन प्रस्तुति दिनांक तक 23 वर्षों से विचाराधीन है। त्वरित विचारण का अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकगण/अभियुक्तगण को अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है, किंतु त्वरित निराकरण नहीं किया गया है। राजदेव शर्मा विरुद्ध बिहार राज्य 2000(I) एम.पी.जे.आर.(सु.को.) 01 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार पालन

नहीं किया गया है। अभियोजन की साक्ष्य समाप्त नहीं की है। अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुति के लिए अवैध एवं प्रक्रियाविहीन रूप से अवसर प्रदान किए गए हैं। पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वच्छदतापूर्वक खुलकर उपेक्षा की गई है। जबकि उक्त न्यायदृष्टांत अधिनस्थ न्यायालयों पर बंधनकारी है।

4. हेराल्ड स्टीफन बेंशन विरुद्ध म.प्र. राज्य 1988 एम.पी.जे.आर. 22 की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। अभियुक्त क्रमांक 3, 73 वर्षीय वृद्ध है। वह सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों से वंचित है। धारा 482 द.प्र.सं. के अधीन अंतरनिहित शक्तियों का प्रयोग करने हेतु न्यायालय विधिक रूप से सक्षम है। तपेशचन्द्र त्रिवेदी अधिवक्ता, अध्यक्ष विशेष प्राधिकरण मलाजखण्ड अभियुक्त क्रमांक 1 थे। अभियुक्त क्रमांक 6 दिनेश श्रीवास्तव, अभियंता विशेष प्राधिकरण मलाजखण्ड थे और अभियुक्त क्रमांक 2 अजय अग्रवाल थे। उक्त तीनों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य शासकीय कर्मचारीगण अवकाश प्राप्त करने की सीमा के नज़दीक पहुंच चुके हैं, प्रकरण समाप्त कर अभियुक्तगणों को उन्मोचित किया जाना चाहिए।

5. 2001 भाग-दो जे.एल.जे. 202 अकरम एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य न्यायदृष्टांत की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। इस न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत न्यायालय पर बंधनकारी है, का पालन किया जाना चाहिए। अभियुक्त तपेश, गोकुल सिंह, दिनेश श्रीवास्तव, अजय अग्रवाल की मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण का निराकरण समय-सीमा के अंदर होता तो वास्तविक न्यायदान होता। प्रकरण में विलंबित कालावधि के आधार पर मामले को निरस्त किए जाने की याचना की है।

6. उक्त आवेदन दिनांक 17.11.2015 का लिखित उत्तर अभिलेख पर राज्य की ओर से पेश नहीं है।

7. प्रस्तुत पुनरीक्षण का सार यह है कि पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री एन.डी. एक्का, जे.एम.एफ.सी. बैहर द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 679/2003 में दिनांक 26.10.1999 को आरोप विरचित किया गया है। दिनांक 24.12.1992 से विचाराधीन है। साक्षी गणेश, चमरदास, उदल, विरेन्द्र, खुमान, कमलेश्वर नामक साक्षियों का परीक्षण किया गया है। अन्य साक्षी उपस्थित नहीं हुए हैं। वर्ष 1992 से 2015 तक 23 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, त्वरित निराकरण का अधिकार आवेदकगण का है, जो भारतीय संविधान ने प्रदत्त किए हैं।

8. राजदेव शर्मा विरुद्ध बिहार राज्य 2000(1) एम.पी.जे.आर. (सुको) 01 में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर विचारण न्यायालय ने आदेश पारित नहीं किया है। विधिक औपचारिकता का निर्वहन किया गया है जो अवैध है, अनुचित एवं प्रक्रियाविहीन है। अभियोजन पक्ष का प्रकरण समाप्त करने हेतु आवेदन दिया था जिसके आधार पर आदेश पारित कर साक्ष्य समाप्त नहीं की है।

9. अभियोजन को मूल रिपोर्ट पेश करने समय दिया गया था, किंतु मूल रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। श्री तुलसी का मुख्य परीक्षण सन् 1997 में अन्य प्रकरण में लेख हुआ है और उनकी छायाप्रति पर प्रदर्श अंकित किया गया है जो धारा 67 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अधीन निरस्त किए जाने योग्य है, निंदनीय है।

10. पुनरीक्षण के आधार में भी उक्त बिंदुओं का समावेश करते हुए राजदेव शर्मा विरुद्ध बिहार राज्य 2000(1) एम.पी.जे.आर. (सुको) 01, 2001 भाग-दो जे.एल.जे. 202 अकरम एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य, 1988 एम.पी.जे. आर. 22 हेराल्ड स्टीफन बेंशन विरुद्ध म0प्र0 राज्य, 1960 एम.पी.एल.जे. 1322 म0प्र0 राज्य विरुद्ध रामीबाई, 1975 एम.पी.एल.जे. 512 प्रशासक नगर पालिका

निगम विरुद्ध रफीक अहमद वगैरह 1995 (11) एम.पी.वी.नो. 94 पुरनसिंह विरुद्ध साबोबाई 1989 भाग-एक एम.पी.वी.नो. 205, 2004 (1) एम.पी.वी.नो. पेज नंबर, पक्षकारों के नाम नहीं, 1987 भाग-दो एम.पी.वी.नो. बद्रीलाल विरुद्ध म.प्र. शासन 2011 भाग-4 एम.पी.एल.जे. 140, हसीना बी विरुद्ध म.प्र. राज्य 2011 भाग-3 एम.पी.एल.जे. 575, राशिद खान व अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य न्यायदृष्टांतों की खुलकर अवहेलना की गई है। फोटोप्रति अभिप्रमाणित की गई है, निरस्त किए जाने योग्य है। संपूर्ण प्रकरण निरस्त कर पुनरीक्षणकर्तागण उन्मुक्त किए जाने की पात्रता रखते हैं।

11. प्रार्थना की गई है कि मूल दांडिक प्रकरण को अवलोकनार्थ आहुत किया जाकर विधिवत हस्तक्षेप किया जाए और आरोपीगण को उन्मुक्त कर मूल अभिलेख नस्तीबद्ध किया जावे।

पुनरीक्षण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 679/2003 शासन बनाम तपेशचंद्र {मृत} व अन्य 06 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2017 में तथ्य की त्रुटि, विधि की त्रुटि होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष

12. उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया।

13. पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से श्री जे.सी. तिवारी विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पुनरीक्षण याचिका में लेख पदवार संपूर्ण तथ्यों को अपने तर्क में समाहित करते हुए इस न्यायालय के समक्ष तथ्य रखे गए। इस आदेश के पद क्रमांक 10 में उल्लेखित सभी न्यायदृष्टांतों का अपने तर्क के दौरान उल्लेख करते हुए निवेदन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए आदेश पारित नहीं

किया है। इस प्रकार त्रुटि की है, अवहेलना की है और इस न्यायालय से गुज़ारिश की है कि यह न्यायालय उक्त न्यायदृष्टांतों का अध्ययन कर पुनरीक्षण याचिका में दर्शाए गए तथ्यों को विचार में लेकर जीवित पुनरीक्षणकर्तागण कमल सिंह, सुभाष सक्सेना, मुकेश दुबे को मूल दांडिक प्रकरण से उन्मुक्त किए जाने की याचना की है।

14. राज्य की ओर से श्री डी.पी. बिसेन, ए.पी.पी. द्वारा निवेदन किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने तर्क में और पुनरीक्षण याचिका में बताए गए न्यायदृष्टांतों पर निष्कर्ष निकालना न्यायालय का कार्य है। श्री बिसेन ए.पी. पी. द्वारा निवेदन किया गया है कि इस मामले में हुई कार्यवाहियों के संबंध में माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष पेश पुनरीक्षण के आदेश संलग्न है। माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष इसी आपराधिक प्रकरण में की गई कार्यवाहियों के संबंध में प्रस्तुत याचिकाओं के आदेश अभिलेख पर संलग्न है, का पालन विचारण न्यायालय द्वारा किए जाने का प्रयास किया गया है। आदेश पत्रावली में लेख कारण अभिलेख के आधार पर सही है या गलत, यह पुनरीक्षण न्यायालय को देखना है। आवेदन निरस्त किए जाने की याचना की है।

15. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। मूल प्रकरण का अध्ययन किया गया। मामले में अंतरवर्ती आवेदन पत्र बचाव पक्ष की ओर से बार-बार पेश करने पर उनके उत्तर हेतु तारीखें बढ़ी है तथा तर्क हेतु बार-बार तारीखें बढ़ी है, उन पर आदेश होने पर पुनरीक्षण याचिकाएं पेश हुई हैं जिनमें आदेश पारित होने पर बचाव पक्ष ने स्वयं आदेश की जानकारी न्यायालय को नहीं दी है जब अभिलेख प्राप्त हुआ तब न्यायालय कार्यवाही हेतु अग्रसर हुआ है। माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 द.प्र.सं. के आवेदन पर संस्थित विविध आपराधिक प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किए

जाने के कारण मामले में कार्यवाही स्थगित रही है। आदेश समाप्त होने पर पुनः तत्कालीन पीठासीन अधिकारी साक्ष्य लिपिबद्ध करने हेतु अग्रसर हुए हैं। आदेश पत्रावली दिनांक 26.10.1999 से दिनांक 07.10.2016 तक की आदेश पत्रिकाओं का अध्ययन किया गया जिसमें अधिकतम व्यतीत समय अभियुक्त पक्ष के द्वारा पेश आवेदन, पेश पुनरीक्षण, पेश विविध आपराधिक प्रकरण एवं याचिका के निराकरण में व्यतीत हुआ है। इन परिस्थितियों में कोई भी विचारण न्यायालय अगली कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र नहीं रहा है।

16. अभिलेख के अध्ययन से स्पष्ट है कि एक ही उद्देश्य के पूर्ति के लिए अलग-अलग प्रावधानों में आवेदन पेश किए गए हैं और उनके निराकरण में भी समय व्यतीत हुआ है।

17. इस आदेश के पद क्रमांक 12 में लेख न्यायदृष्टांतों की प्रतियाँ पेश नहीं की गई हैं और संबंधित पत्रिका पेश नहीं की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर सुभाष सक्सेना की ओर से पेश लिखित तर्क दिनांक 06.08.2013 के साथ संलग्न लेखबद्ध न्यायदृष्टांतों का अध्ययन किया गया जो तथ्यात्मक रूप से इस मामले में कोई लाभ बचाव पक्ष को प्रदान नहीं करते हैं।

18. अधिनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ 2000 (1) एम.पी.जे. आर. 01 (सुको) राजदेव शर्मा विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें दिए गए निर्देश क्रमांक 1 के अनुसार जहाँ 7 वर्ष तक के दंडादेश वाले मामलों के विचारण का प्रश्न है अभियुक्त जेल में हो, या न हो अभियोजन को दो वर्ष में साक्ष्य पूर्ण आरोप की विरचना पश्चात् कर लेनी चाहिए। यदि साक्ष्य पेश नहीं होती है तो अगली प्रक्रिया न्यायालय को अपनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए। निर्देश क्रमांक 2 इस प्रकार प्रतिपादित है कि जहाँ 7

वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से संबंधित अपराध का मामला हो वहाँ 3 वर्ष की अवधि में साक्ष्य पूर्ण कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात् अगली प्रक्रिया अपनाना चाहिए।

19. 2001 (2) जे.एल.जे. 202 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि आर्टिकल-21 एवं 20 भारतीय संविधान के अधीन विचारण न्यायालय को दांडिक मामले की सुनवाई के समय नागरिकों के विधिक अधिकार की रक्षा करने के लिए विधि के अधीन कर्तव्य का पालन करने के लिए आबद्ध है। पैरा नंबर 8 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आज्ञापक निर्देश दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को विचारण न्यायालय, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने पर उन्हें केवल लिखना उचित नहीं है, अपितु उन पर विचार किया जाना आवश्यक है, का पालन किया जा रहा है।

20. 1988 एम.पी.जे.आर. एच.सी. 22 हेराल्ड स्टीफन बेंशन इंदौर विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. में प्रतिपादित सिद्धांत है कि सह-अभियुक्त की मृत्यु हो गई है, 12 वर्ष से विचारण लंबित है, अभियुक्त की उम्र करीब 73 वर्ष की है, शीघ्र विचारण करना या होना अभियुक्त का मौलिक अधिकार है, धारा 482 द.प्र.सं. के अधीन कार्यवाही समाप्त किए जाने योग्य है। श्री जे.सी. तिवारी अधिवक्ता ने अपने तर्क में इस न्यायदृष्टांत का अवलंबन लेते हुए इन पुनरीक्षणकर्ता को उन्मुक्त किए जाने और कार्यवाही समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया। यह भी निवेदन किया गया है कि इस पुनरीक्षण न्यायालय को धारा 482 द.प्र.सं. के तहत अधिकार है।

धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार है :- उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति—इस संहिता की कोई बात

उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो ।

21. उक्त विधिक प्रावधान के अध्ययन से और उपरोक्त न्यायदृष्टांत के अध्ययन से यह न्यायालय यह पाता है कि धारा 482 द.प्र.सं. में प्राप्त अंतर्निहित शक्तियां माननीय उच्च न्यायालय को है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा किए गए तर्क के अनुसार धारा 482 द.प्र.सं. में लेख अंतर्निहित शक्तियाँ इस न्यायालय में वैधित है, मान्य किए जाने योग्य नहीं है।

22. राज्य विरुद्ध रामीबाई 1960 एम.पी.एल.जे. 1322 का अध्ययन किया गया। इस न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार हर दांडिक न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने से रोके जाने के लिए अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त है जिससे यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्तागण ने मूल अभिलेख पर मामले में प्रगति न हो, के संबंध में बार-बार स्थगन प्राप्त किए है और समय लिया है। ऐसी विधि के अधीन दूसरे पक्ष को कष्ट पहुंचाने वाली प्रक्रियाओं को रोकने के लिए अंतर्निहित शक्तियां होना प्रतिपादित किया है जो विचारण न्यायालय को उपयोग में लाना है। इस न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत पुनरीक्षण न्यायालय के लिए नहीं है।

23. पूरन सिंह विरुद्ध सोबाबाई 1995 भाग-दो एम.पी.वी.नो. 94 घटना दिनांक से परिवाद पेश किए जाने की कालावधि धारा 468 दं.प्र.सं. में 3 वर्ष की विहित है लेख है जो प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष नहीं है।

24. स्टेट ऑफ़ एम.पी. विरूद्ध ठाकुरीप्रसाद 1989 (I) एम.पी.वी.नो. 205

गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रतिपादित सिद्धांत है कि संपत्ति न केवल निरस्त करना बल्कि दुर्विनियोग या अभियुक्त के उपयोग हेतु संपरिवर्तित भी साबित करना आवश्यक है, प्रतिपादित किया है जो बिंदु पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष नहीं है। यह तथ्य साक्ष्य लिपिबद्ध करने के पश्चात् निराकरण किए जाने योग्य है। साथ ही बद्रीलाल विरूद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 1987 भाग—दो एम.पी.पी.नो. 6 में सिद्धांत प्रतिपादित है कि दुर्व्यपदेशन बेईमानीपूर्वक साबित नहीं, अपराध नहीं बनता, प्रतिपादित सिद्धांत है जो साक्ष्य उपरांत गुणदोष के आधार पर निराकृत किए जाने योग्य है।

25. श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड विरूद्ध म.प्र. राज्य खाद्य

परीक्षण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 13 उपधारा 2 का पालन न होने से
धारा 482 द.प्र.सं. के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित की गई, लेख है, तथ्यात्मक और आपराधिक विधि की विसंगति के कारण उक्त न्यायदृष्टांत इस पुनरीक्षण से संबंधित मूल मामले की परिस्थिति के अनुकूल पुनरीक्षणकर्ता के लिए लाभकारी नहीं है।

26. अभिलेख पर लेख आदेशिकाओं का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि अभिलेख पर अलग—अलग वर्षों में लम्बी अवधि तक पुनरीक्षणकर्तागण अथवा उनके साथी सह—अभियुक्त द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विलंब कारित किया गया जिसके लिए अभियोजन पक्ष की त्रुटि होना दृष्टिगोचर नहीं होती है।

27. जहाँ तक विचारण न्यायालय द्वारा विलंब कारित किया गया हो अथवा विधि की त्रुटि की हो, यह मूल अभिलेख के अध्ययन से दर्शित नहीं होता है। इस न्यायालय की जानकारी अनुसार कॉमन कॉज सोसायटी

विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया 1996 भाग-दो म.प्र.वी.नो. 01 (सुको) द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार यदि विलंब अभियुक्त की गलती के कारण अथवा अभियुक्त के कारण विचारण न्यायालय के समक्ष मामले में हुई हो, तो वह आरोप की विरचना पश्चात् 02 वर्ष की अवधि में अथवा 03 वर्ष की अवधि में जैसे अपराध की प्रकृति हो, का विचारण पूर्ण न होने पर न्यायालय को अभियोजन की साक्ष्य समाप्त कर अगली प्रक्रिया अपनाना चाहिए, का लाभ वह प्राप्त नहीं कर सकता, प्रतिपादित किया है।

28. इस मामले में आदेश पत्रिकाओं के अध्ययन किए जाने से और पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश, माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के विविध दांडिक प्रकरण में पारित आदेश के अध्ययन से यह तथ्य उपलब्ध है कि मूल अभिलेख बार-बार पुनरीक्षण न्यायालय को या माननीय उच्च न्यायालय की ओर गया है अथवा कार्यवाही स्थगित रही है, इसलिए 1996 भाग-दो एम.पी.वी.नो. 01 (सुको) में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार बचाव पक्ष विलंब के आधार पर कार्यवाही समाप्त किए जाने का लाभ नहीं ले सकता।

29. संपूर्ण विधिक स्थिति को अध्ययन कर विचार में लेने के पश्चात् तथा बचाव पक्ष द्वारा तर्क में बताए गए सभी न्यायदृष्टांतों का अध्ययन कर उन्हें इस आदेश में लेख कर विधिक स्थिति को विचार में लिया गया। मामले में हुए विलंब के लिए अभियोजन पक्ष अकेला दोषी है, यह दर्शित नहीं होता है, इसलिए 1996 भाग-दो एम.पी.वी.नो. 01 (सुको) में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के आलोक में यह पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। धारा 227 द.प्र.सं. के अधीन उन्मुक्त किए जाने योग्य विधिक स्थिति नहीं है। धारा 482 द.प्र.सं. के अधीन विचारण न्यायालय की कार्यवाही अभिखंडित किए जाने योग्य नहीं है। याचिका स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

30. अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किए जाने योग्य न होने से **अस्वीकार कर निरस्त** की जाती है।

31. आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय की ओर मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि विचारण न्यायालय विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 2824/2016 में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2016 में दिए गए निर्देश का पालन सुनिश्चित करें तथा यदि अवधि बढ़ाए जाने हेतु याचना पत्र लेख न हो, तो याचना-पत्र लेख कर और कितना समय लगेगा, लेख करते हुए मोहलत मांगकर विचारण पूर्ण करें।

32. यह भी निर्देश दिया जाता है कि दांडिक प्रकरण क्र. 679/2003 के शेष साक्षी प्रधान आरक्षक राम बहादुर, उप निरीक्षक अरुण समाधिया, डी.के. वासनिकर डिप्टी कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी सांडा मलाजखण्ड, लेखराम हरिनखेड़े (स्टाक रजिस्टर सहित), रामप्रसाद सहायक लिपिक परिक्षेत्र कार्यालय (दक्षिण सामान्य बालाघाट-रजिस्टर सहित) तथा अभियोजन के आवश्यक साक्षीगण की संख्या निश्चित अभियोजन पक्ष से कराकर साक्षियों की संख्या के आधार पर प्रतिदिन 3 साक्षी की दर से लगने वाले कार्य दिवस निश्चित कर साक्षीगण को समन जारी कर आहुत करावे। म.प्र. राज्य के तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी जो साक्ष्य पत्रावली में लेख उम्र के अनुसार सेवानिवृत्त हो चुके हों, के लिए उनके विभाग प्रमुख को याचना पत्र लेख कर वे सेवानिवृत्ति पश्चात् जहाँ कहीं भी हों, पर समन की तामीली कर उनकी साक्ष्य लिपिबद्ध करने हेतु अग्रसर हों और निर्धारित अवधि में साक्ष्य लिपिबद्ध करने का कार्य पूर्ण करें।

33. यदि अभियोजन पक्ष निर्धारित अवधि में साक्ष्य लेखबद्ध कराने में असफल रहता है तो उत्तरदायित्व म.प्र. राज्य का होगा, समंस पर स्पष्ट लाल स्याही से टीप अंकित हो। अभियोजन कार्यालय बैहर को भी निर्देशित किया जाता है कि वे पुराने मामलों पर अपने किन-किन साक्षियों का कथन कराना चाहते हैं, आवेदन देकर उन साक्षियों को समन तामील कराने हेतु न्यायालय से याचना कर समन प्राप्त कर स्वयं के कार्यालय के कव्हरिंग लेटर के साथ संबंधित विभाग प्रमुख को समन प्रेषित कर साक्षियों की वास्तविक स्थिति का पत्राचार द्वारा/मोबाईल नंबर पता कराकर उन साक्षियों को न्यायालय के समय नियत तारीख पर उपस्थित रखने के दायित्व का निर्वहन करें, अभियोजन के असफल होने के पश्चात् न्यायिक विवेक के अनुसार विचारण न्यायालय आदेश करे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित
किया गया।

सही /—

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

प्रतिलिपि:—न्यायालय श्री अमनदीपसिंह छाबड़ा न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर की ओर मूल
अभिलेख संलग्न कर सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर